

पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता में

आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.- 1212/2023

जानकीपुर थाना कांड संख्या-43/2010, जिला- पूर्णिया

=====

फुल कुमारी देवी, पत्नी श्री जीवच्छ पंडित, ग्राम- मुरलीगंज, थाना- मुरलीगंज, जिला-
मधेपुरा

..... अपीलार्थी/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. महेन्द्र मंडल, पुत्र- दिवंगत बिदेश्वर मंडल, निवासी- गाँव- रतनपट्टी, थाना-
मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा
3. अरुण मंडल, पुत्र- सातान मंडल, निवासी- गाँव- रतनपट्टी, थाना- मुरलीगंज, जिला-
मधेपुरा
4. किशोर मंडल, पुत्र- दिवंगत मदन मंडल, निवासी- गाँव- रतनपट्टी, थाना-
मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा
5. बहादुर मंडल, पुत्र- दिवंगत देव दत्त मंडल, निवासी- गाँव- रतनपट्टी, थाना-
मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा
6. राम चंद्र मंडल, पुत्र- दिवंगत परमेश्वरी मंडल, निवासी- गाँव- रतनपट्टी, थाना-
मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा
7. कृष्णदेव मंडल, पुत्र- दिवंगत मुशरू, निवासी- गाँव- रतनपट्टी, थाना- मुरलीगंज,
जिला-मधेपुरा
8. बिसुनदेव मंडल, पुत्र- दिवंगत मुशरू, निवासी- गाँव- रतनपट्टी, थाना- मुरलीगंज,
जिला-मधेपुरा
9. मदन मंडल, पुत्र- दिवंगत छुटहारू मंडल, निवासी- गाँव- रतनपट्टी, थाना-
मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा
10. सतन मंडल, पुत्र- दिवंगत छुटहारू मंडल, निवासी- गाँव- रतनपट्टी, थाना-
मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा
11. कामेश्वर मंडल, पुत्र- दिवंगत छुटहारू मंडल, निवासी- गाँव- रतनपट्टी, थाना-
मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा

12. मंदू मंडल, पुत्र- कृष्णदेव मंडल, निवासी- गाँव- रतनपट्टी, थाना- मुरलीगंज, जिला- मधेपुरा
13. प्रशांत मंडल, पुत्र- कृष्णदेव मंडल, निवासी- गाँव- रतनपट्टी, थाना- मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा
14. संतोष मंडल, पुत्र- कृष्णदेव मंडल, निवासी- गाँव- रतनपट्टी, थाना- मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा
15. राज कुमार मंडल, पुत्र- मदन मंडल, निवासी- गाँव- रतनपट्टी, थाना- मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा

..... प्रतिवादी/प्रतिवादीगण

=====

उपस्थिति:

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री उदय चंद प्रसाद, अधिवक्ता
 श्री मनोज कुमार, अधिवक्ता
 सुश्री पूजा प्रसाद, अधिवक्ता
 प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री सुजीत कुमार सिंह, एपीपी

=====

भारतीय दंड संहिता---धारा 302, 201, 414 और 120बी---दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपील---धारा 372---ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषमुक्ति के फैसले के खिलाफ अपीलकर्ता, मृतकों में से एक की भाभी—भूमि-विवाद में समझौता चाहने वाले दोनों मृतकों को जान का खतरा—दोहरा अनुमान आरोपी के पक्ष में।

आदेश: ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में कोई त्रुटि नहीं की—किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील दत्ता मिश्रा

मौखिक निर्णय

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

तारीख: 09-04-2024

वर्तमान अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-372 (इसके बाद संहिता के रूप में संदर्भित) के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर की गई है, जो मृतक में से एक की भाभी है, जिसे 2011 के सत्र परीक्षण संख्या 701, सत्र परीक्षण संख्या 1393/2012, C.I.S. संख्या 2780/2013, जो 2010 के जानकी नगर थाना मामला संख्या 43 से उत्पन्न होता है, में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय, पूर्णिया द्वारा पारित बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर किया गया है, जिसके तहत सभी दोषियों को बरी कर दिया गया है। वर्तमान निजी प्रत्यर्थियों/अभियुक्तों को निचली अदालत ने आई. पी. सी. की धारा- 302, 201, 414 और 120 बी के तहत उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया है।

2. श्री उदय चंद प्रसाद को सुना, श्री मनोज कुमार और सुश्री पूजा प्रसाद की सहायता से, अपीलार्थी के विद्वान वकील और प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान ए.पी.पी. श्री सुजीत कुमार सिंह थे।

3. अपीलार्थी के विद्वान वकील मुख्य रूप से प्रस्तुत करेंगे कि एफ. आई. आर. लगभग 08 बजे 22.06.2010 पर दर्ज किया गया था आई. पी. सी. की धाराओं- 302/201 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए सुबह जानकी नगर पुलिस स्टेशन के समक्ष रामानुज पांडे द्वारा। उक्त एफ.आई.आर. में कहा गया है कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव इस्लामपुर टोला, गाँव-चांदपुर में सड़क के उत्तर की ओर एक खाई के पास पड़ा है।

मुखबिर द्वारा दी गई उक्त जानकारी के आधार पर, उपरोक्त एफ.आई.आर. अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया गया। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अगले दिन एक अन्य खाई में एक और शव भी मिला था और इसलिए, उसी संबंध में भी जांच एजेंसी द्वारा जांच की गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जाँच के दौरान, जाँच एजेंसी ने गवाहों के बयान दर्ज किए और गवाहों के बयान से यह पता चला कि वर्तमान निजी उत्तरदाताओं ने दोनों मृतक को धमकी दी थी कि अगर वे भूमि-विवाद से समझौता नहीं करते हैं तो उन्हें मार दिया जाएगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मृतक रामानंद और एक अन्य मृतक, जो रामानंद का साला है के पक्ष में आदेश पारित किया गया था। इस प्रकार, अभियुक्तों का कथित अपराध करने का मकसद था और इसलिए, गवाहों के बयान के आधार पर, सभी अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जाँच एजेंसी ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

4. विद्वान वकील ने आगे कहा कि मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने पांच गवाहों से पूछताछ की थी। हालाँकि, विद्वान वकील द्वारा यह निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया गया है कि हालाँकि यह लोक अभियोजक का कर्तव्य था कि वह जाँच अधिकारी और मृतक का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की जाँच करे, लेकिन उनकी जाँच नहीं की गई है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य से, अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित होता है कि पक्षों के बीच भूमि-विवाद के कारण, आरोपी द्वारा मृतक को चाय की दुकान पर धमकी दी गई थी और अभियोजन पक्ष के दो गवाहों ने इसके बारे में सुना है और इसके तुरंत बाद अगले दिन रामानंद का शव मिला। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है, जिसके बावजूद निचली अदालत ने निजी प्रतिवादियों के पक्ष में बरी होने का आदेश दर्ज किया है। इसलिए विद्वान वकील ने आग्रह किया कि वर्तमान अपील को स्वीकार किया जाए और उसके बाद उसी की अनुमति दी जाए और विवादित आदेश

विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए जाने को रद्द कर दिया जाए और अलग कर दिया जाए।

5. दूसरी ओर, विद्वान ए. पी. पी. ने प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करते समय कोई त्रुटि नहीं की है और इसलिए, यह न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तथापि, विद्वान ए.पी.पी. आगे प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह न्यायालय उचित आदेश पारित कर सकता है। विद्वान ए.पी.पी. द्वारा यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए विवादित निर्णय और बरी करने के आदेश के खिलाफ कोई बरी करने की अपील नहीं की है।

6. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा प्रचार की गई दलीलों पर विचार किया है। हमने अभिलेख पर रखी गई सामग्री का भी अध्ययन किया है, जिसमें अभियोजन-गवाहों के बयानों के रूप में कागजी-पुस्तक भी शामिल है, जो अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रदान की गई है।

7. निचली अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य से यह पता चलता है कि एफ.आई.आर. रामानुज पांडे द्वारा दर्ज किया गया था क्योंकि उसने इस्लामपुर टोला, गाँव-चांदपुर में सड़क के उत्तर की ओर खाई के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव देखा था। इसलिए, उन्होंने फोन पर पुलिस को एक विशेष स्थान पर पड़े शव के बारे में सूचित किया। उनके द्वारा दी गई सूचना के कारण, एक अज्ञात व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज किया गया। यह रिकॉर्ड से आगे पता चलेगा कि अगले दिन किसी अन्य व्यक्ति का शव भी मिला था। यह पता चला है कि जाँच के दौरान, जाँच एजेंसी ने वह सामग्री एकत्र की जिससे यह पता चला कि शव एक रामानंद मंडल का था और दूसरा शव जो अगले दिन मिला था, वह उसके बहनोई,

डोमी मंडल का था। जाँच अधिकारी ने सबूत एकत्र किए और उसके बाद उसने अभियुक्त, उपस्थित प्रतिवादियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

8. यह ध्यान देने योग्य है कि मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने पांच गवाहों से पूछताछ की थी।

9. पी.डब्ल्यू. 1 अभिनंदन कुमार मृतक रामानंद मंडल का भतीजा है, जिसने कहा है कि रामानंद डोमी मंडल के साथ निर्धारित तिथि पर 21.06.2010 को बाइक पर मधेपुरा अदालत गए थे और वहां से लौट रहे थे। लौटते समय वे चाय पीने के लिए मुरलीगंज में चाय की दुकान पर रुके जहां चंद्रिप ने उन्हें चाय पीते हुए देखा। चंद्रिप ने भी चाय पी। चार व्यक्ति, कृष्णदेव मंडल, बिशुनदेव मंडल, बहादुर मंडल और राम चंद्र मंडल वहाँ आए और कहा कि वे उस दिन मामला सुलझा लेंगे और भूमि विवाद को खत्म करेंगे। वे पहले भी जान से मारने की धमकी दे चुके थे। अगली सुबह चांदपुर मांघा नहर के किनारे से डोमी मंडल का शव बरामद किया गया। एक दिन बाद नौलखी पंचायत से रामानंद मंडल का शव बरामद हुआ। जिस बाइक पर मृतक गया था, वह मुरलीगंज मध्य चौक से बरामद की गई थी। पुलिस ने इसे मुकेश कुमार के पास से बरामद किया था। वह सभी अभियुक्तों की पहचान करने का दावा करता है। वह अदालत में मौजूद आरोपी महेंद्र मंडल और कामेश्वर मंडल की पहचान करता है और अन्य लोगों की भी पहचान करने का दावा करता है जो अनुपस्थित हैं।

9.1. अपनी जिरह में उसने कहा है कि उसने किसी को भी रामानंद और डोमी की हत्या करते नहीं देखा था। चंद्रदेव मंडल ने उन्हें बताया था कि दोनों मृतक मधेपुरा से मुरलीगंज गए थे। चंद्रदेव मंडल उनके सह-ग्रामीण हैं। उन्होंने आगे कहा है कि धमकी लगभग दस दिन पहले दी गई थी। हालाँकि, उसे सही तारीख याद नहीं है। हालाँकि, उन्होंने इस बारे में कोई शिकायत नहीं की थी। वह यह नहीं कह सकते कि मधेपुरा अदालत में तारीख तय की गई थी या नहीं।

10. पी.डब्ल्यू. 2 शिव नारायण मंडल मृतक रामानंद के पिता हैं। उक्त गवाह ने कहा है कि रामानंद उसका बेटा था जिसे मार दिया गया है। दूसरा मृतक डोमी मंडल रामानंद मंडल का बहनोई था। उसने बताया कि उसका बेटा मोटरसाइकिल पर मधेपुरा गया था और वहाँ से मुरलीगंज गया था जहाँ चंद्रदेव और मुंगा लाल भी अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ मौजूद थे। जब उनका बेटा वापस नहीं आया, तो उन्होंने उसकी तलाश की और पता चला कि मुंगा लाल मंडल और चंद्रदेव मंडल ने मामला निपटाने की धमकी दी थी। अगली सुबह उसे पता चला कि उसकी हत्या कर दी गई है। जानकी नगर से एक शव बरामद किया गया। वह वहाँ गया और पाया कि यह उसके बेटे का शव था। वह सभी अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान करने का दावा करता है। वह अदालत में मौजूद महेंद्र मंडल और अरुण मंडल की पहचान करता है।

10.1. अपनी जिरह में उन्होंने कहा है कि वह विवादग्रस्त भूमि की खाता या खेसरा संख्या नहीं बता सकते हैं। वे मधेपुरा नहीं गए थे, केवल डोमी और रामानंद गए थे। उन्होंने मुरलीगंज के बारे में आरोपी व्यक्तियों के बारे में जो कुछ भी कहा है, उसे मुंगा लाल और चंद्रदेव मंडल ने सूचित किया था। उसने खुद को नहीं देखा था। उन्होंने शव बरामद होने के बारे में बताया था। उन्होंने किसी भी आरोपी को मृतक की हत्या करते नहीं देखा था। उसने यह नहीं देखा था कि डोमी और रामानंद को किसने और किस तरीके से मारा था। मोटरसाइकिल रामानंद से संबंधित नहीं थी। यह डोमी से संबंधित था। उनके बेटे और डोमी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था।

11. पी.डब्ल्यू. 3 फुल कुमारी देवी वर्तमान में अपीलार्थी हैं। वह मृतक रामानंद की भाभी हैं। उक्त गवाह ने मुख्य परीक्षा में कहा है कि यह घटना लगभग सात साल पहले हुई थी। उसके देवर रामानंद मंडल का आरोपी किशुनदेव और बिशुनदेव मंडल के साथ भूमि-विवाद था। डोमी मंडल रामानंद के साला थे। अदालत ने रामानंद के पक्ष में फैसला सुनाया और उसके बाद एक पंचायती ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। अभियुक्त ने

पंचायत के निर्णय का सम्मान नहीं किया और समझौता करने के लिए दबाव डाला, अन्यथा उसे समाप्त कर दिया जाएगा। उसने आगे कहा है कि उसके देवर रामानंद मंडल उस तारीख को डोमी के साथ माधेपुरा अदालत गए थे, लेकिन वापस नहीं आए। तलाशी लेने पर मनीष ने बताया कि कल रामानंद को मुरलीगंज में चाय पीते देखा गया था। मनीष ने रामानंद से घर जाने का अनुरोध किया, लेकिन किशुनदेव, बिशुनदेव और राम चंद्र ने कहा कि रामानंद घर नहीं जाएंगे। वह विवाद का फैसला करने के बाद जाएगा। अगले दिन गाँव मांघा और नौलखी से डोमी और रामानंद के शव मिले। पुलिस और विद्वान मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान दर्ज किया गया। वह अदालत में मौजूद आरोपी महेंद्र मंडल सहित सभी अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान करती है।

11.1. अपनी जिरह में उसने कहा है कि विवादित भूमि उसके कब्जे में है। उसे पंचायती की तिथि याद नहीं है और वह पंचायत में उपस्थित नहीं थी। वह पंचों के नाम नहीं जानती है। आपराधिक मामले सहित उक्त भूमि-विवाद के लिए माधेपुरा अदालत में कार्यवाही लंबित थी। इसी विवाद के कारण रामानंद अपने ससुराल में रहते थे और शायद ही कभी उनके घर आते थे। वह नहीं जानती कि क्या रामानंद को कभी जेल भेजा गया था। वह मुरलीगंज गई थीं। मनीष उसका बहनोई है। उसने आगे कहा है कि पुलिस ने घटना के लगभग पाँच महीने बाद उसका बयान दर्ज किया था। उन्होंने गलत बयान देने के सुझाव से इनकार किया है।

12. पीडब्लू 4 मनीष कुमार मंडल उर्फ मनीष कुमार हैं। उन्होंने 21.06.2010 पर कहा है कि वह 05 बजे शाम में मुरलीगंज गुदरी बाजार गए थे। उनके पड़ोसी मुंगा लाल मंडल और चंद्रदेव मंडल भी उनके साथ गए थे। वे एक चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे जहाँ रमा मंडल उर्फ रामानंद पंडित और डोमी मंडल, बहादुर मंडल, राम चंद्र मंडल और किशोर मंडल भी चाय पीने आए थे। उन्होंने रामानंद से अपने साथ घर जाने का अनुरोध किया, लेकिन राम चंद्र मंडल ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि

वह विवाद का फैसला करने के बाद ही जाएंगे। वह, चंद्रदेव मंडल और मुंगा लाल मंडल गुदरी बाजार की ओर बढ़े। बाजार से कुछ दूरी पर एक पीपल के पेड़ के नीचे आरोपी कृष्णदेव मंडल, बिशुनदेव मंडल, बीरेन मंडल, मदन मंडल, सत्तन मंडल, कामेश्वर मंडल, मंदू मंडल, संतोष कुमार, सभी 10-12 व्यक्ति उपस्थित थे। वह घर वापस आ गया। अगले दिन उन्हें पता चला कि रामानंद पंडित और डोमी मंडल मारे गए हैं। उसने जानकी नगर थाना में रामानंद पंडित का शव देखा था। वह आरोपी अरुण मंडल और महेंद्र मंडल की पहचान करता है और अन्य अभियुक्तों की पहचान करने का दावा करता है।

12.1. अपनी जिरह में उन्होंने कहा है कि मुरलीगंज बाजार में चाय की बहुत सारी दुकानें हैं। हर दुकान पर भीड़ थी। उन्हें चाय पीने में 10-12 मिनट लग जाते। रामानंद पंडित की पत्नी और भाभी ने उन्हें अगली सुबह रामानंद पंडित की हत्या के बारे में बताया था। वह अगली सुबह जानकी नगर थाना गए थे और वहाँ एक शव देखा था। उसे एक-दो दिन बाद हत्या का मामला दर्ज करने के बारे में भी पता चला। उसे याद नहीं है कि घटना के कितने दिन बाद पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया था। जैसा कि न्यायालय में कहा गया है, उन्होंने डिप्टी एस. पी. के समक्ष अपना बयान दिया था और दारोगाजी के सामने नहीं। उन्होंने दारोगाजी को यह नहीं बताया था कि उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे कृष्णदेव मंडल आदि को देखा था। रामानंद पंडित उनके पड़ोसी थे और उनके साथ उनके भाईचारे के संबंध थे। उन्होंने गलत बयान देने के सुझाव से इनकार किया है, जैसा कि सिखाया गया है।

13. पीडब्लू 5 रामदेव मंडल हैं। उन्होंने पी. डब्ल्यू. 4 मनीष कुमार मंडल द्वारा अपदस्थ किए गए संस्करण का समर्थन किया है। उन्होंने आगे कहा कि वह शव को देखने गए थे, 3 कि. मी. भागा मुख्य सड़क के उत्तर की ओर। शव की जीभ काटकर घसीट कर ले जाया गया था। पुलिस आई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज

दिया। उसने अदालत में मौजूद आरोपी अरुण मंडल की पहचान कर ली है। वह दूसरे आरोपी (महेन्द्र मंडल) की भी पहचान करता है, लेकिन उसके नाम से नहीं।

13.1. अपनी जिरह में उन्होंने कहा है कि वह केवल अपने हस्ताक्षर करना जानते हैं। वह एक प्राथमिक विद्यालय का छात्र है और कक्षा-II में पढ़ता है। उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने मनीष की सूचना के अनुसार बयान दिया है। उन्होंने आगे कहा है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मृतक की हत्या किसने और कैसे की।

14. अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य से यह पता चलता है कि पीडब्लू 1, पीडब्लू 2 और पीडब्लू 3 मृतक के करीबी रिश्तेदार हैं, जबकि पीडब्लू 4 मनीष कुमार मंडल एक स्वतंत्र गवाह हैं। पी. डब्ल्यू. 5 सुनवाई गवाह है जिसे पी.डब्ल्यू. 4 मनीष कुमार मंडल ने जानकारी दी थी।

15. अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में उपरोक्त साक्ष्य से यह कहा जा सकता है कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है।

16. यह भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अभियोजन पक्ष ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की जांच नहीं की और न ही जांच करने वाले अधिकारी की, जिन्होंने जांच की थी, अभियोजन पक्ष द्वारा जांच की गई है।

17. पी.डब्ल्यू. 1 से पी.डब्ल्यू. 4 के रूप में अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य से, अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि दो गवाहों ने अभियुक्त को पक्षों के बीच भूमि-विवाद के कारण चाय की दुकान पर मृतक को धमकी देते देखा है। उपरोक्त के अलावा, प्रतिवादियों/अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन के साक्ष्य के रूप में कोई अन्य सामग्री उपलब्ध नहीं है। यहां तक कि अभियोजन पक्ष भी मृतक की हत्या को साबित करने में विफल रहा है और यहां तक कि जांच रिपोर्ट या पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट भी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। मृतक की मृत्यु का मामला भी विचारण न्यायालय के समक्ष प्रमुख ठोस

साक्ष्य द्वारा साबित नहीं होता है। यहां तक कि जिस हथियार से मृतक की मौत हुई थी, वह भी नहीं मिला या बरामद नहीं हुआ।

18. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी होगी और यह अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि वह आरोपी के खिलाफ मामले को साबित करे। प्रासंगिक साक्ष्य प्रस्तुत करके उचित संदेह से परे।

19. इस स्तर पर, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि चंद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय (2007) 4 एस.सी.सी. 415 में रिपोर्ट किए गए पैरा-42 के निम्नानुसार है:-

“42. उपरोक्त निर्णयों से, हमारे सुविचारित विचार में, बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करते समय अपीलीय न्यायालय की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित सामान्य सिद्धांत सामने आते हैं:

(1) अपीलीय न्यायालय के पास उन साक्ष्यों की समीक्षा, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार करने की पूरी शक्ति होती है, जिन पर बरी करने का आदेश स्थापित किया गया है।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ऐसी शक्ति के प्रयोग पर कोई सीमा, प्रतिबंध या शर्त नहीं लगाती है और एक अपीलीय न्यायालय तथ्य और कानून दोनों के प्रश्नों पर अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले साक्ष्य पर कोई शर्त नहीं लगाता है।

(3) विभिन्न अभिव्यक्तियाँ, जैसे "पर्याप्त और सम्मोहक कारण", "अच्छे और पर्याप्त आधार", "बहुत मजबूत परिस्थितियाँ", "विकृत निष्कर्ष", "स्पष्ट गलतियाँ", आदि का उद्देश्य बरी होने के खिलाफ अपील में अपीलीय न्यायालय की व्यापक शक्तियों को कम करना

नहीं है। साक्ष्य की समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने की अदालत की शक्ति को कम करने की तुलना में बरी करने में हस्तक्षेप करने के लिए एक अपीलीय अदालत की अनिच्छा पर जोर देने के लिए इस तरह के वाक्यांश "भाषा के विकास" की प्रकृति में अधिक हैं।

(4) हालाँकि, एक अपीलीय अदालत को यह ध्यान रखना चाहिए कि बरी होने के मामले में, अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा है। सबसे पहले, आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत के तहत उसके लिए निर्दोषता उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि वह किसी सक्षम अदालत द्वारा दोषी साबित नहीं हो जाता। दूसरा, अभियुक्त द्वारा बरी किए जाने के बाद, उसकी बेगुनाही की धारणा को निचली अदालत द्वारा और मजबूत, फिर से पुष्टि और मजबूत किया जाता है।

(5) यदि अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय न्यायालय को निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए बरी होने के निष्कर्ष में बाधा नहीं डालनी चाहिए।”

20. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णय से यह कहा जा सकता है कि अपीलीय न्यायालय को बरी किए जाने के मामले पर विचार करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि बरी किए जाने के मामले में अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा है। सबसे पहले, आपराधिक न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांत के तहत निर्दोषता का अनुमान उसके लिए उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि वह किसी सक्षम अदालत द्वारा दोषी साबित नहीं हो जाता। दूसरा, अभियुक्त द्वारा बरी किए जाने के बाद, उसकी बेगुनाही की धारणा को निचली अदालत द्वारा और मजबूत,

फिर से पुष्टि और मजबूत किया जाता है। इसके अलावा, यदि अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय न्यायालय को निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए बरी होने के निष्कर्ष को बाधित नहीं करना चाहिए।

21. हमने निचली अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में पूरे साक्ष्य की फिर से सराहना की है। हम ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज तर्क को भी देख चुके हैं और हमारा विचार है कि ट्रायल कोर्ट ने विवादित आदेश पारित करते समय कोई त्रुटि नहीं की है। इसलिए, वर्तमान अपील में विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

22. तदनुसार, यह अपील खारिज कर दी जाती है।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(सुनील दत्ता मिश्रा, न्यायमूर्ति)

के.सी.झा/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।